न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

प्रकाश चन्द्र शर्मा I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
13 / 2020	2020 / 00053	08.10.2020	08.04.2022

1. श्री तुलसीराम पुत्र देवीलाल जाटव निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. श्री देवीलाल पुत्र मांगीलाल जाति चमार निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
2. मांगीलाल पुत्र हरलाल गुर्जर निवासी बरवाड़ा गुर्जर तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
3. रंगलाल पुत्र पुत्र हरलाल गर्जर निवासी बरवाड़ा गुर्जर तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
4. श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– विपक्षी / रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश प्रकरण 03 / 2020 न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी बउनवान श्री देवीलाल बनाम मांगीलाल गवैराह अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत्

उपस्थिति :–

1. श्री बाबुलाल पालीवाल अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री गोपाललाल गर्जर अधिवक्ता विपक्षी / रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3
3. श्री सरकार पैरोकार सरकार

–: आदेश :– दिनांक :– 08.04.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश प्रकरण 03 / 2020 न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी बउनवान श्री देवीलाल बनाम मांगीलाल गवैराह अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बरवाड़ा गर्जर पटवार हल्का सेमरथली की आराजी संख्या 113 रकबा 0.13 हैक्टर एवं आराजी संख्या 114 रकबा 0.41 हैक्टर तथा आराजी संख्या 117 / 678 रकबा 0.20 हैक्टर एवं आराजी संख्या 118 रकबा 0.29 हैक्टर एवं आराजी संख्या 121 रकबा 0.03 हैक्टर तथा आराजी संख्या 99 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 6 सम्पूर्ण रकबा 1.69 हैक्टर भूमियां देवीलाल पुत्र मांगीलाल चमार सरपरस्त माता श्री नाराणीबाई के नाम दर्ज रहते हुए जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1990 के द्वारा श्री देवीलाल पुत्र दौजीराम जाति जाटव को विक्रित की गई थी।

उक्त भूमियों के विक्रय पंजीयन आधार पर उक्त भूमियां प्रकरण के अपीलार्थी के पिता श्री देवीलाल पुत्र दौजीराम जाटव के नाम विक्रय पत्र आधार पर मौके पर कब्जा अन्तरण के साथ राजस्व रिकार्ड में भी अंकित होनी थी किन्तु किन्हीं कारणों से उक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड में अन्तरण / नामान्तरकरण नहीं हो

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

एवं उनके ...

3 यह कि देवीलाल पिता मांगीलाल मेघवाल चमार ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी का रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के यहा दिनांक 12.2.20 को दर्ज हुआ जिस पर पटवार हल्का द्वारा रिपोर्ट मंगवाई गई व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा प्रकरण

तुलसी

पाया। जिसके चलते विपक्षी/रेस्पोडेन्ट संख्या –1 द्वारा उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में शिर्षक अन्तरण नहीं होने के आधार पर तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमियों को बतौर काश्त हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या – 2 व 3 को कब्जे काश्त में दिये जाने के आधार पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी RTA–1955 के तहत् प्रार्थना पत्र तहसीलदार छोटीसादड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 03/2020 से दर्ज रिकार्ड किया जाकर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या –2 व 3 को सूचना पत्र जारी किये गये जिसके क्रम में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा युक्ति–युक्त जवाब भी अधिनसथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी कार्यवाही दिनांक 25.02.2020 को नियत करते हुए उक्त दिवस को बिना किसी सक्षम सुनवाई के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में पटवार हल्का सेमरथली से प्राप्त रिपोर्ट आधार पर धारा 183 बी के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 03.03.2020 को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखली के आदेश प्रदान किये गये है। जिसके विरूद्ध यह अपील अपीलार्थी निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है। जिसे स्वीकार फरमाई जावे।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 कि ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गर्जर द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत करते हुए जवाब एवं बहस हेतु अवसर चाहा गया तथा अवशेष रेस्पोडेन्ट संख्या–1 कि ओर से लगातार कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधिनस्थ से निर्णित मूल पत्रावली संख्या 03/2020 को तलब किया जाकर रिकार्ड पत्रावली पर रखा गया।

पत्रावली में कई तारीख पेशीयों उपरान्त भी रेस्पोडेन्टगण कि ओर से लगातार किसी के उपस्थित नहीं होने के चलते उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया कि न्यायहित में अपीलार्थी की अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अन्तिम अपीलार्थी सूनी जाकर मेरिट आधार पर अपील निर्णित फरमावें। अपीलार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 01.04.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अन्तिम अपीलार्थी सुनी गई।

दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए तथा अधिनस्थ न्यायालय से पारीत निर्णय दिनांक 03.03.2020 का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि प्रकरण में वर्णित विवादित भूमियां रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के नाम दर्ज है किन्तु उक्त भूमियां का जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 12.06.1990 से विधिवत् अन्तरण अपीलार्थी के नाम पर हुआ था किन्तु उक्त विक्रय पंजीयन दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अन्तरण अपीलार्थी के पक्ष में नहीं हो पाया जबकि प्रकरण में वर्णित भूमियों के पूर्व खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 (विक्रेता) एवं अपीलार्थी (केता) एक ही जाति संवर्ग अर्थात अनुसुचित जाति संवर्ग के है जिनके मध्य किया गया अन्तरण किन्हीं भी विधियों में प्रतिषेध श्रेणी का नहीं रहा है अर्थात् धारा 42 बी के प्रावधानों के विपरीत नहीं था। जहाँ तक मौके पर वर्तमान में कब्जा–काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या – 2 व 3 के पास होना अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के मध्य आपसी करार के आधार पर मौके पर उनका काबिज काश्त होना धारा 183 बी के प्रावधानों को लागु नहीं करता है तथा राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के नाम पर उक्त भूमि का अंकन होना मात्र उसके मालिकाना अधिकार को सृजित नहीं करता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय से पारीत आदेश को अपास्त फरमावें।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील दिनांक 15.09.2020 एवं अधिनस्थ न्यायालय से पारीत निर्णय दिनांक 03.03.2020 तथा रिपोर्ट पटवार हल्का दिनांक 11.02.2020 एवं पंजीकृत विक्रय दस्तावेज दिनांक 12.06.1990 तथा अनुबंध रहन पत्र दिनांक 08.05.2019 का भी गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रकरण में वर्णित विवादित आराजीयात का अन्तरण जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 12.06.1990 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 एवं अपीलार्थी के पिता श्री देवीलाल पुत्र दोजीराम जाटव के मध्य हुआ है। रिपोर्ट पटवार हल्का सेमरथली दिनांक 11.02.2020 के अनुसार उक्त भूमियों पर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 का कब्जा एवं काश्त होना जाहीर आया है। प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज अनुबंध पत्र दिनांक 08.05.2019 के अनुसार उक्त भूमियों का रहननामा अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के मध्य निष्पादित हो विवादित भूमियों का मौका पर कब्जा अनुसुचित जाति

...ा कलक्टर
...गढ़ (राज.)

संवर्ग से पृथक जाति संवर्ग स्वर्ण जाति संवर्ग के काश्तकार को अन्तरित किया जाना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनुचित मानते हुए धारा 183 बी के तहत् रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी में विहित प्रावधानों की समुचित विवेचना नहीं करते हुए केवल समरी ट्राईल आधार पर प्रकरण निर्णित किया गया है। जबकि धारा 183 बी के अनुसार अनुसुचित जाति संवर्ग की कृषि भूमि पर गैर अनुसुचित जाति संवर्ग का अवैधानिक कब्जा किस आधार पर अन्तरित हुआ है या प्रकरण में उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज खातेदार एवं अपीलार्थी पक्ष के विक्रय पंजीयन आधार पर धारा 42 बी लागु होती है अथवा नहीं की विवेचना नहीं की गई है किन्तु उक्त भूमि पर वर्तमान काबिज रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के गैर अनुसुचित जाति संवर्ग की कब्जे–काश्त के आधार पर धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाना अनुचित प्रतीत होता है। क्योंकि धारा 183 बी के प्रावधान लागु किये जाने से पूर्व विवादित भूमियों पर कब्जे काश्त की समयावधी 12 वर्षो का आंकलन किया जाना अनिवार्य अपेक्षित है। प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी उपस्थित हुआ है वो और अपीलार्थी दोनों ही अनुसुचित जाति संवर्ग के सदस्य हैं जिनके मध्य किया गया भूमि अन्तरण धारा 42 बी के अनुसार प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता किन्तु अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित रहन अनुबंध पत्र धारा 42 बी में विहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित करते है, जिससे प्रकरण में धारा 183 बी का प्रत्यायोजन होता प्रतीत होता है किन्तु उसका लाभ रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को दिया जाना तर्क संगत नहीं रहा है जबकि प्रकरण की विधिक स्थितियों एवं उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजों तथा विवादित भूमि पर कब्जे–काश्त के कारण शान्ति व्यवस्था भंग होने के चलते धारा 175 के प्रावधान लागु किया जाना प्रदर्शित होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से पारीत आदेश दिनांक 03.03.2020 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी को निर्देशित किया जाता है उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में समुचित रिकार्ड एवं प्रचलित विधियों के अध्याधीन विवादित भूमि के निराकरण करते हुए धारा 183 बी में विहित प्रावधानों के तहत् अधिनिर्णित पारीत करते हुए अपेक्षित होने पर विवादित भूमियों के संबंध में धारा 175 RTA 1955 के तहत् उपखण्ड़ अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ

3 यह कि देवीलाल पिता मांगीलाल मेघवाल चमार ने एक